रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 374] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 9, 2018/आश्विन 17, 1940
No. 374] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 9, 2018/ASVINA 17, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2018

फा. सं॰ आरईजी-18/मैन्यु लेबलिंग/एफ़एसएसएआई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनका उससे प्रभावित होना संभाव्य है, प्रकाशित करता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफ़डीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002 या ईमेल – regulation@fssai.gov.in को भेजे जा सकेंगे;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त हों, खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनिमयों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग)........संशोधन विनियम, 2018 है ।
   (2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 में, (जिन्हे इसके पश्चात उक्त विनियम कहा जाएगा)-

(1) विनियम 2.4 में, उप-विनियम 2.4.4 के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2.4.5: खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में जानकारी का प्रदर्शन

(1) खाद्य सेवा प्रतिष्ठान जिनके पास केंद्रीय लाइसेन्स हो अथवा जिनके 10 या उससे अधिक आउटलेट हों वे उनके द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक खाद्य पदार्थ का कैलोरीफ मूल्य मैन्यू कार्ड या बोर्डों पर प्रदर्शित करेंगे। इसके अतिरिक्त, प्रति दिन औसत वयस्क के लिए 2000 किलो केलोरी ऊर्जा की आवश्यकताओं पर संदर्भ जानकारी स्पष्ट रूप से और प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

(2) खाद्य सेवा प्रतिष्ठान भोजन की बिक्री या सेवा के स्थान पर नीचे निर्दिष्ट जानकारी प्रदर्शित करेंगे:

(क) इन नियमों के तहत आवश्यक किसी भी चेतावनी / सांविधिक घोषणा;

(ख) भोजन में एलर्जी से संबंधित जानकारी;

(ग) शाकाहारी या मांसाहारी संबंधी लोगो;

(घ) भोजन में ग्लूटेन मुक्त और कम ग्लूटेन स्थिति से संबंधित जानकारी; तथा

(ड़) कार्बनिक भोजन या अवयवों से संबंधित जानकारी।

(3) ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर यह जानकारी अपने प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान से जुड़े मेनू में भी उपलब्ध कराएंगे, जहां लागू हो।

(4) ये प्रावधान निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

(क) इवेंट कैटरर्स और फूड सर्विस परिसर जो कैलेंडर वर्ष में 60 दिनों से कम समय तक चलते हैं (लगातार या लगातार नहीं)।

(ख) स्व-सेवा मसालों जो निःशुल्क हैं और मैन्यू पर सूचीबद्ध नहीं हैं।

(ग) ग्राहक के अनुरोध के अनुसार विशेष ऑर्डर आइटम या संशोधित भोजन और मेनू आइटम।

(5) खाद्य सेवा प्रतिष्ठान पुस्तिकाओं या हैंडआउट के रूप में या उनके वेबसाइट पर बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों पर पोषण संबंधी जानकारी भी रखेंगे जो अनुरोध पर उपभोक्ताओं को प्रदान किए जाएंगे।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./295/18]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015//30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधन किए गए थे:-

(i) फा. सं.4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;

(ii) फा. सं. पी.15014/1/2011-पी.एफ.ए./एफ.एस.एस.ए.आई., तारीख 27 जून, 2013;

(iii) फा. सं. 1-83एल./एससीआई.पैन-अधि./एफ.एस.एस.ए.आई.-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

(iv) सं0 3-16/विनिर्दिष्टए खाद्य/अधिसूचना (खाद्य लेबलिंग)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई , 2016;

(v) फा.सं.1(94)2015/अधिसूचना पी एंड एल/प्रव,/एफ.एस.एस.ए.आई, तारीख 25 मई, 2016;

(vi) सं. 3-14पी /अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफ़एसएसएआई -2013, तारीख 13 जुलाई, 2016 और

(vii) फा.सं. 1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th October, 2018

F. No. REG-18/Menu Labelling/FSSAI-2018.— The following draft of certain regulations to further to amend the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India, proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and

Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in;

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 (herein after refer as said regulations),
(1) In regulation 2.4, after sub-regulation 2.4.4, the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

"**2.4.5: Display of information in food service establishments**
(1) Food Service Establishments having Central license or outlets at 10 or more locations shall display the calorific value of each of the food items sold by them on their menu cards or boards. Additionally, reference information on the requirements of 2000 Kcal energy for an average adult per day shall also be displayed clearly and prominently.

(2) Food Service Establishments shall display the information specified below at the point of sale or service of the food:

(a) any warning/gluten free and low gluten status in food; and

(e) information relating to statutory declarations required under these regulations;

(b) information relating to allergens in the food;

(c) logo for veg or non-veg;

(d) information relating to organic food or ingredients.

(3) E-commerce Food Business Operators shall also provide this information in the menu linked with each food service establishment on their platform, where applicable.

(4) These provisions shall not be applicable to the following:

(a) Event caterers and Food Service premises that operate for less than 60 days in a calendar year (consecutively or non-consecutively).

(b) Self-serve condiments that are free of charge and not listed on the menu.

(c) Special-order items or modified meals and menu items as per customer's request.

(5) Food Service Establishments shall also keep written nutritional information on the food items sold by them in the form of booklets or handouts or on their website which shall be provided to consumers upon request.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./295/18]

Note. – The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 7th June, 2013;

(ii) F.No. P 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated the 27th June, 2013;

(iii) F. No. 1-83L/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated the 17th February, 2015;

(iv) No. 3-16/ Specified Foods/Notification(Food Labelling)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;

(v) F. No. 1(94)2015/Notification P&L/Enf/FSSAI, dated 25th May, 2016**;**

(vi) No.3-14P/Notification(Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016 and

(vii) F. No. 1-120(2)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016.

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2018.10.11 22:05:05 +05'30'